

क्रमांक/ शा.शि./ई/मंथन/2007/ 281

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:—मंथन 2007 बिन्दु क्रमांक 7.3 शाला भूमि पर अतिक्रमण हटवाये जाने के संबंध में

विषयान्तर्गत राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की शालाओं की जो भूमि अतिक्रमण की चपेट में हैं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये। यदि आपके जिला अंतर्गत शासकीय शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण है तो उसे हटवाने हेतु आप जिला कलेक्टर का सहयोग लेकर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

[Handwritten Signature]
संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक/221/भवन/अतिक्रमण/07

सतना दिनांक-12.06.2007

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संचालक लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल
2. कलेक्टर जिला सतना म.प्र.
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा म.प्र.
4. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सतना म.प्र.
5. जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान (जिला शिक्षा केन्द्र) जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
समस्त शाला संकुल प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल जिला सतना को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आपको निदेशित किया जाता है कि आपके शाला संकुल क्षेत्रान्तर्गत के समस्त शा.उ.मा.वि., हाई स्कूल, माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला की जो भूमि अतिक्रमण की चपेट में है उन्हें उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अतिक्रमण से तत्काल मुक्त कराकर पालन प्रतिवेदन भेजें। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्रान्तर्गत की समस्त शालाओं की भूमि अतिक्रमण से मुक्त हों।
7. समस्त संबंधित प्राचार्य, उ.मा.वि./हाई स्कूल, प्रधानाध्यापक, माध्य./प्राथ. स्कूल जिला सतना। द्वारा-संकुल प्राचार्य
8. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सतना (म.प्र.)

[Handwritten notes and signatures]
12-7-07
23
5-7-07